

1738


बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।

28.8.2006

संकल्प
=====

1. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-1995 दिनांक-30.12.2003 के द्वारा अधीनस्थ एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर तथा बी0सी0ई0, भागलपुर एवं दिनांक-05.01.1979 के पूर्व राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुशंसित अन्य सेवा शर्तों आदि के साथ सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूर्ववत् 60 वसंठवर्ष संसूचित है ।
2. वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-02 दिनांक-02.01.2003 के द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक-05.01.1979 के पश्चात् शिक्षकों के लिए ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान अन्य सेवाशर्तों आदि के साथ सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूर्ववत् 60 वसंठवर्ष संसूचित है ।
3. ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवाशर्तों आदि के साथ सेवा निवृत्ति आयु सीमा पूर्व से 62 वसंठवर्ष अनुशंसित एवं संसूत है ।
4. ए0आई0सी0टी0ई0 के उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के सभी कोर्टि के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 60 वसंठवर्ष से बढ़ाकर 62 वसंठवर्ष करने का मामला राज्य सरकार के सिवाराधीन था ।
5. उपर्युक्त मामले पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के सभी कोर्टि के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 वसंठवर्ष से बढ़ाकर 62 वसंठवर्ष करने का निर्णय लिया है ।
6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।
7. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-1995 दिनांक-30.12.2003 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-02 दिनांक-02.01.2003 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । उपर्युक्त संकल्पों के द्वारा संसूचित अन्य सेवाशर्तों आदि यथावत् रहेंगी ।

कृ0पु30-2



- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज-पत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-वि0प्र01 व2-22/06 / 1738 पटना, दिनांक- 28-8-2006
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738 पटना, दिनांक- 28-8-2006
प्रतिलिपि-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738 पटना, दिनांक- 28-8-2006
प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, ए0आई0सी0टी0ई0, इन्दिरा गाँधी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली-110002 को उनके पत्रांक-1-65/सी0डी0/एन0ई0 सी0/98-99 दिनांक-15.03.2000 तथा पत्रांक-1-65/सी0डी0/एन0सी0ई0/98-99 दिनांक-30.12.1999 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738 पटना, दिनांक- 28-8-2006
प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738 पटना, दिनांक- 28-8-2006
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित किया जाय एवं इसकी पाँच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ वित्त विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय ।

सतीश नारायण
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738

पटना, दिनांक- 28 8 2006

प्रतिलिपि-वित्त आयुक्त, भारतखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्वाति सरावगी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738

पटना, दिनांक- 28 8 2008

प्रतिलिपि-वित्त आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्वाति सरावगी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738

पटना, दिनांक- 28.8.2006

प्रतिलिपि-प्राचार्य, स्म0आर0डी0, मूजफ्फरपुर/बी0सी0ई0, भागलपुर/सभी

राजकीय पोलिटेकनिक/सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पंषद, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्वाति सरावगी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1738

पटना, दिनांक- 28.8.2006

प्रतिलिपि-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार मुख्यालय, पटना स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक/प्रेतिलिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्वाति सरावगी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

निशाने

पटना, दिनांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।